

:: अधिसूचना ::

उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा अधिसूचना संख्या-911-15/भवन निर्माण-2010, दिनांक 16.09.2011 के माध्यम से "मातृत्व हितलाभ योजना" अधिसूचित कर लागू की गयी थी।

तत्क्रम में बोर्ड की 11वीं बैठक दिनांक 21.07.2011 में लिये गये निर्णय तथा शासन द्वारा जारी की गयी अनापत्ति संख्या-1189/36-2-11, दिनांक 11.11.2011 के क्रम में पंजीकृत श्रमिकों के हितार्थ चलायी जाने वाली मातृत्व हितलाभ योजना का लाभ सम्बन्धित श्रमिक के पंजीकरण के उपरान्त होने वाले दो प्रसवों तक सीमित किया जा रहा है।

उपर्युक्तानुसार उक्त योजना में शिथिलीकरण अधिसूचना की तिथि से प्रभावी होंगे।

(सीताराम मीना)
सचिव, बोर्ड।

कार्यालय भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड, उ0प्र0, कानपुर।

पत्राक-8674-8804 / भवन निर्माण-2011(85)

दिनांक-18.11.2011

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त अपर/उप/सहायक श्रमायुक्त व अपर/उप/सहायक कल्याण आयुक्त (पदेन) उपर्युक्त के साथ-साथ सम्यक् प्रचार एवं प्रसार हेतु।
4. अपर श्रमायुक्त, उ0प्र0 (कम्प्यूटर प्रकोष्ठ) को इस अनुरोध के साथ कि कृपया सभी क्षेत्रीय/उप क्षेत्रीय कार्यालयों को ई-मेल से प्रेषित करते हुये वेबसाइट पर भी अपलोड कराने का कष्ट करें।
5. अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड, लखनऊ।
6. गार्ड फाइल हेतु।
7. श्रम अनुभाग-2 को उनकी अनापत्ति संख्या- 1189/36-2-11, दिनांक 11.11.2011 के क्रम में सूचनार्थ।

(बी0के0 राय)
उप सचिव, बोर्ड।

:: अधिसूचना ::

उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा अधिसूचना संख्या- 911-15/भवन निर्माण-2010, दिनांक 16.09.2011 के माध्यम से "मातृत्व हितलाभ योजना" अधिसूचित की गयी थी।

तत्क्रम में शासन द्वारा प्रस्तावित संशोधनों पर अनापत्ति संख्या- 1469/छत्तीस-2-12-251 (एस0एम0)/95टी0सी0 -111, दिनांक 12.06.2013 के क्रम में पंजीकृत श्रमिकों के हितार्थ चलायी जाने वाली मातृत्व हितलाभ योजना के अन्तर्गत सम्बन्धित महिला कर्मकार को रु0 12,000/- का भुगतान दो किस्तों में किया जायेगा। इसके अतिरिक्त पुरुष कामगारों के पत्नियों को इस योजना के अन्तर्गत लाभ की परिधि में लाते हुये उन्हे भी कुल रु0 6000/- दो किस्तों में दिये जायेंगे।

योजना के अन्तर्गत उक्त संशोधित लाभ संशोधन की अधिसूचना जारी किये जाने की तिथि से लागू होंगे। पूर्व में प्राप्त आवेदनों पत्रों पर उपरोक्त संशोधन कदापि लागू नहीं होंगे।

तदनुसार संशोधित योजना के अनुसार भविष्य में कार्यवाही कराना सुनिश्चित करें।

(शालिनी प्रसाद)
सचिव, बोर्ड।

कार्यालय उ0प्र0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड, उ0प्र0, कानपुर।

पत्रांक - 656-62/भ0नि0बो0(85)-2013,

दिनांक- 19.07.2013

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त अपर/उप/सहायक श्रमायुक्त व अपर/उप/सहायक कल्याण आयुक्त (पदेन) उपर्युक्त के साथ-साथ सम्यक प्रचार एवं प्रसार हेतु।
4. अपर श्रमायुक्त, उ0प्र0 (कम्प्यूटर प्रकोष्ठ) को इस अनुरोध के साथ कि कृपया सभी क्षेत्रीय/उप क्षेत्रीय कार्यालयों को ई-मेल से प्रेषित करते हुये बेवसाइट पर भी अपलोड कराने का कष्ट करें।
5. अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड, लखनऊ।
6. गार्ड फाइल हेतु।
7. श्रम अनुभाग-2 को उनकी अनापत्ति संख्या- 1469/छत्तीस-2-12-251(एस0एम0)/95 टी0सी0-111, दिनांक 12.06.2013 के क्रम में सूचनार्थ।

(माला श्रीवास्तव)
अपर सचिव, बोर्ड।

प्रेषक,

सचिव, उ०प्र० भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड,
श्रमायुक्त, उ०प्र०, जी०टी० रोड, कानपुर।

सेवा में,

समस्त क्षेत्रीय अपर/उप श्रमायुक्त, उ०प्र०

.....
.....।

पत्र संख्या : 743-62 / भ०नि०बो०-(85)-2013 दिनांक:-26.07.2013

विशय : मातृत्व हितलाभ योजना के क्रियान्वयन हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश।

महोदय,

उ०प्र० भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा संचालित मातृत्व हितलाभ योजना को कार्यालय के पत्र संख्या 656-62/भ०नि०बो०(85)-13, दिनांक 19.07.2013 द्वारा सं गोधित योजना अधिसूचित की गयी है। योजना के क्रियान्वयन एवं देय हितलाभ के सम्बन्ध में जारी दिशा-निर्देशों के अनुक्रम में अवगत कराना है कि लाभार्थी को हितलाभ दो किस्तों में देय होगा। हितलाभ की प्रथम किस्त का भुगतान प्रसव होने के उपरान्त एवं द्वितीय किस्त का भुगतान बी०सी०जी० का टीकाकरण पूर्ण होने पर देय होगा।

उक्त योजनान्तर्गत समस्त हितलाभ उपरोक्तानुसार ही देय होंगे। तदनुसार उक्त योजना में आव यक कार्यवाही लागू की जाये।

भवदीय,

(शालिनी प्रसाद)
सचिव, बोर्ड।

पत्र संख्या : 743-62 / भ०नि०बो०(85)-2013, दिनांक: 26.07.2013

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. प्रमुख सचिव (श्रम), उ०प्र० भासन, श्रम अनुभाग-02, बापू भवन, लखनऊ।
2. समस्त जिलाधिकारी, उ०प्र०।

(शालिनी प्रसाद)
सचिव, बोर्ड।